# संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र.

## प्रकोष्ठ-भोपाल

## सतपुडा भवन द्वितीय तल खण्ड-ग

दूरभाष क्र. 0755-2570857 E-mail-addldirlfabpl@mp.gov.in

क्रमांक/I/1422366/2026/२२२१ भोपाल, दिनांक 06-11-2026

### विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 1/1/32/0001/2026-ESTT 04(FIN) भोपाल, दिनांक 21/10/2026 से इस संचालनालय को प्राप्त मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 8-2/2013/आ.प्र. एक (पार्ट) दिनांक 09/10/2026 के निर्देशों के परिपालन में संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. में दिव्यांगजन के रिक्त पदों की पूर्ति "विशेष दिव्यांगजन भर्ती अभियान" के तहत निम्न पदों पर की जानी है:-

| स. क्र. | पदनाम | कुल रिक्त पद | दिव्यांगजन के लिये आरक्षित रिक्तियां | | | | वेतनमान | शैक्षणिक अर्हताए | पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में से विज्ञापित पद की संख्या के अधिकतम दो गुना अभ्यर्थियों को मूल दस्तवेज परीक्षण हेतु उपस्थित होने की दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि वाले (VH) | बहरे और कम सुनने वाले (EH) | लोकोमोटर डिसेबिलिटी (जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी) (LD) | ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (MD) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | सहायक संपरीक्षक | 13 | 03 | 02 | 04 | 04 | 25300-80500 (7वें वेतनमान में लेवल-6) | कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक | 28.12.2026 |

MPPLR

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | सहायक ग्रेड-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19500-62000 (सातवें वेतनमान में लेवल-4) | हायर सेकेन्डरी परीक्षा (पुरानी प्रणाली से) या हायर सेकेन्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) प्रणाली से उत्तीर्ण एवं अन्य अनिवार्य आर्हताऐं* | 29.12.2026 |
| 3 | सहायक ग्रेड-3 (संविदा) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | न्युनतम 19500/- (सातवें वेतनमान में लेवल-4) | | 29.12.2026 |
| 4 | भृत्य सह फर्राश | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15500-49000 (सातवें वेतनमान में लेवल-1) | आठवीं कक्षा उत्तीर्ण | 29.12.2026 |

**सहायक ग्रेड-3 एवं सहायक ग्रेड-3 (संविदा) हेतु अन्य अनिवार्य आर्हताऐं*:-**

(1) **MAP- IT** द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण **(CPCT)** परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(2) निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:-

I. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
II. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
III. डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।
IV. शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।
V. शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय "कम्प्यूटर आपरेटर एवं5 प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा) प्रमाण पत्र।

**उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी:-**

i. बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.)बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) एम.टेक/ एम.ई.
ii. ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी।

2/ उपरोक्त निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले निःशक्त अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र रजिस्टर्ड

MPPLR

डाक के माध्यम से कार्यालयीन समय में संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठ भोपाल सतपुड़ा भवन, द्वितीय तल खण्ड- ग भोपाल में आवेदन दिनांक **10.11.2026** से आमंत्रित किये जाते है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **09.12.2026** है। इस तिथि उपरांत डॉक द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

| आवश्यक निर्देश | आनलाईन आवेदन हेतु क्यू. आर. कोड |
|---|---|
| ऑफलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी की प्रविष्टि ऑनलाइन भी दर्ज की जानी है जिस बावत् दिये गये क्यू.आर कोड को स्केन कर, गूगल फार्म में जानकारी भरें। | |

3/ नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप एव आवश्यक शर्तें तथा क्यू.आर कोड के लिऐ विभाग की वेबसाईट https://lfa.mp.gov.in एवं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट https://sparsh.mp.gov.in/SJMIS/Public/Home.aspx पर देखी जा सकती है।

प्राधिकार:- संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित।

Digitally signed by
Vibhakar Sharma
Date: 06-11-2026
13:58:14

**उप संचालक**
**संचालनालय**
**स्थानीय निधि संपरीक्षा**
**म.प्र.**

MPPLR

**नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें:-**

1. सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र.सी-**3-11/12/1/13,** दिनांक **03.11.2012** एवं पत्र क्र./सी.**3-11/2012/3** भोपाल दिनांक **13** जनवरी **2016,** में संशोधित आदेश क्र.सी. **3-8/2016/3**-एक भोपाल दिनांक **12** मई **2017** एवं सी.**3-8/2016/1/3** भोपाल दिनांक **04** जुलाई **2019** के अनुसार अभ्यर्थी की आयु की गणना **01** जनवरी **2026** की स्थिति में न्यूनतम आयु-सीमा **18** वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा **45** वर्ष होगी।

2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. का मूल निवासी होने का डिजिटल प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ प्रेषित करना आवश्यक हैं।

3. आवेदक को अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होने पर संबंधित वर्ग का डिजिटल प्रमाण-पत्र सत्यापित कर संलग्न करना अनिवार्य हैं। उल्लेखनीय हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष एवं आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए।

4. आवेदन पत्र के साथ जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं। नोट- भारत सरकार के राजपत्र दिनांक **05.05.2021** द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार दिनांक **01.06.2021** से समस्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र केवल यू.डी.आई.डी पोर्टल नामितः **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से नियमानुसार जारी किये गये डिजिटल प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

5. आवेदन पत्र के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक हैं। असत्य /भ्रामक जानकारी देने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आवेदक को चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर से वंचित करने तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही हेतु विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।

6. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ **8-2/2013**/आ.प्र.एक (पार्ट) भोपाल, दिनांक **09/10/2026** की कण्डिका **2 (iv)** अनुसार, "चयन समिति, दस्तावेज परीक्षण के उपरांत विज्ञापित पद की शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य योग्यता के आधार पर पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों के पृथक पृथक सूची तैयार करेगी। अपात्र अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाईट **https://lfa.mp.gov.in** पर अपलोड की जाकर पंद्रह **(15)** दिन में दावा- आपत्ति प्राप्त की जाएगी।" तथा कण्डिका **2(v)** अनुसार, "पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में से विज्ञापित पद की संख्या के अधिकतम दो गुना अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज से परीक्षण कराये जाने हेतु आहूत किया जाएगा।

7. दस्तावेज के परीक्षण के समय मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र/पेनकार्ड/ आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेंस/ पासपोर्ट में से कोई एक उपलब्ध कराया जाना होगा।

8. उम्मीदवार का चयन उनके द्वारा प्रस्तुत अर्हकारी/ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट सूची के अनुसार होगा।

9. शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं / संविदा पर कार्यरत आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।

10. आवेदक का मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन संलग्न करना अनिवार्य होगा।

MPPLR

11. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम-6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी 2001 के पश्चात उसे कोई तीसरी संतान होती है तो अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए अपात्र होगा।

12. उम्मीदवार के नियुक्ति के पूर्व पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा।

13. विज्ञापित सभी पद अस्थाई हैं तथा चयन किये गये उम्मीदवार को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/ एक दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षा (probation) पर होगी। परीवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम की प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा तथा पद पर स्थायी किया जावेगा।

14. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-8-3/2013/आ.प्र./एक, दिनांक 17 जुलाई 2014 अनुसार शासकीय सेवाओं में जिन दिव्यांगजनों का चयन हुआ है, उनके दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों की जांच नियुक्ति आदेश के बाद तथा उनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से कराया जायेगा।

15. मूक बधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों का मेडिकल बोर्ड में बैरा टेस्ट (Bera Test) कराया जायेगा।

16. विज्ञापित रिक्त पदों की अनुमानित संख्या को कम/ अधिक / निरस्त करने का अधिकार संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. को होगा।

17. चयन के संबंध में किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. का मान्य होगा।

18. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 8-2/2013/आ.प्र.एक (पार्ट) भोपाल, दिनांक 09/10/2026 की कण्डिका 2(v) अनुसार, "मेरिट सूची के अभ्यर्थी का नाम अन्य विभागों में भी चयनित होता है तो उसके पास एक ही विभाग में कार्यभार ग्रहण करने का विकल्प होगा। ऐसी स्थिति में प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही की जा सकती है।"

उपरोक्तानुसार पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाईट **https://lfa.mp.gov.in** पर अपलोड की जावेगी। जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज से परीक्षण कराये जाने की सूचना प्रदान की जावेगी। अतः विभागीय वेबसाईट का अवलोकन समय-समय पर करते रहें।

प्राधिकार:- संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित।

**उप संचालक**
**संचालनालय**
**स्थानीय निधि संपरीक्षा**
**म.प्र.**

MPPLR

# ''विशेष दिव्यांगजन भर्ती अभियान-2026'' के तहत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अभ्यार्थियों के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

**संचालक,**
**संचालनालय,**
**स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र.**
**प्रकोष्ठ भोपाल**
**सतपुड़ा भवन खंण्ड-ग द्वितीय तल**

आवेदक का स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित नवीन पासपोर्ट साईज का फोटो

1. आवेदित पद का नाम .....
2. निःशक्तता का प्रकार प्रकार..... प्रतिशत .....
   (छायाप्रति संलग्न करें)
3. आवेदक का पूरा नाम .....
4. पिता/पति का नाम .....
5. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता .....
   .....
6. स्थाई पता .....
   .....
   .....
7. दूरभाष/मोबाईल नंबर .....
8. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कंमाक एंव दिनांक .....
9. 01 जनवरी 2026 को
   (क) आयु वर्ष .....माह ..... दिन.....
   (ख) जन्मतिथि.....
10. आवेदक की श्रेणी का विवरण .....
    (अनारक्षित/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर)
11. शैक्षणिक योग्यताऐं(भृत्य के लिए 8वी तथा अन्य पद हेतु 10वी,12वी, स्नातक एवं अन्य अर्हताओं का विवरण:-

| स. क्र. | उत्तीर्ण परीक्षा का नाम | बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम | वर्ष | विषय | श्रेणी | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

12. यदि आवेदक विवाहित है तो जीवित संतानों की संख्या.....

अंतिम संतान की जन्मतिथि .....

13. मध्यप्रदेश का मूलनिवासी ..... (हाँ / नहीं) हाँ की स्थिति में प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

14. अनुभव (यदि है तो):-

| पदनाम | वेतनमान | विभाग का नाम एवं पता | सेवा की वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

15. बिन्दु क्रमांक-14 के अनुसार यदि आवेदक शासकीय/अर्द्ध शासकीय / संविदा का कर्मचारी रहा हो तो कार्यरत अवधि/पदनाम / कार्यालय/विभाग का नाम विवरण सहित जानकारी दें:-

विभाग का नाम .....

कार्यालय का नाम.....

कार्यरत अवधि .....

पदनाम .....

यदि सेवारत है तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें।

16. अन्य योग्यताऐं यदि कोई हो .....

17. क्या आपने क्यू.आर. कोड को स्कैन कर, ऑनलाइन मध्यम से चाही गई जानकारी भरा है अथवा नहीं? (टिक करें)

1. हॉं ⇨ ☐
2. नहीं ⇨ ☐

इस जानकारी की प्रविष्टि आनलाईन दर्ज करना अनिवार्य है।

18. संलग्न किये गये दस्तावेजों का विवरण.....

.....

**आवेदक के हस्ताक्षर पूरा नाम एवं पता**

**.....**

**.....**

**शपथ-पत्र**

मैं.....पिता/पति.....यह सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूँ कि, संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. के अन्तर्गत विज्ञापित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रसारित विज्ञापन की सभी शर्तो की अर्हता रखता / रखती हूँ एवं उक्त आवेदन पत्र में मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये, सभी प्रमाण-पत्र एवं विवरण मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी / अभिलेख सत्य एवं सही हैं। प्रस्तुत अभिलेख गलत अथवा जाली पाये जाने पर मेरे द्वारा दिये जा रहे शपथ-पत्र के परिप्रेक्ष्य में मेरे ऊपर नियमानुसार दाण्डिक कार्यवाही की जा सकती हैं। भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने हेतु समस्त उत्तरदायित्व मेरा व्यक्तिगत होगा।

**आवेदक के हस्ताक्षर पूरा नाम**
**एवं वर्तमान पता**
**(पिन कोड सहित स्पष्ट अक्षरों में)**

.....

.....